कार्यालय अधिष्ठाता एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी
गांधी चिकित्सा महाविद्यालय,स्वशासी समिति, भोपाल

क्रमांक 2880/एम.सी./4/ राज/2022 भोपाल, दिनॉक 01/06/2022

// संशोधित विज्ञप्ति//

म0प्र0 शासन चिकित्सा शिक्षा विभाग मंत्रालय भोपाल के ज्ञाप क्रमांक एफ 2–53/2017/1/55 दिनांक.12/01/2018 मध्यप्रदेश स्वशासी चिकित्सा शैक्षणिक आदर्श सेवा नियम 2018 के अन्तर्गत स्वाशासी संस्था गाधी चिकित्सा महाविद्यालय भोपाल के अधीन निम्नलिखित विभागों में विज्ञप्ति कमांक 2347/एमसी/4/राज/2022 दिनांक 21.05.2022 एवं संशोधित विज्ञप्ति कमांक 2429/एमसी/4/राज/2022 भोपाल दिनां 24.05.2022 के अनुक्रम में सहप्राध्यापक/सहायक प्राध्यापक के रिक्त पदों की पूर्ति की जाना है। आवेदन करने की पात्रता **सिर्फ गाधी चिकित्सा महाविद्यालय भोपाल एवं चिकित्सालय से संबंद्ध अस्पतालो में पदस्थ चिकित्सकों** की होगी जो शासन/एनएमसी द्वारा निर्धारित टी.ई.क्यू नियमावली दिनांक 14.02.2022 अनुसार अर्हताएं पूरी करते हों।

अतः निम्नलिखित रिक्त पदो हेतु निर्धारित प्रपत्र में गाधी चिकित्सा महाविद्यालय भोपाल (स्वशासी समिति) द्वारा दिनांक 04.06.2022सायं 5:30 बजे तक आवेदन पत्र अमंत्रित किये जाते हैं।

विज्ञापन की संपूर्ण जानकारी एवं आवेदन पत्र का निर्धारित प्रारूप स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय भोपाल मध्यप्रदेश की वेबसाईट www.gmcbhopal.net पर उपलब्ध है।योग्य अम्मीदवारो की सूची एवं साक्षात्कार की तिथि गांधी चिकित्सा महाविद्यालय, भोपाल की website पर उपलब्ध कराई जाऐगी इस हेतु website का अवलोकन करे।

आवेदन पत्र डाक द्वारा/ व्यक्तिगत रूप से अधिष्ठाता गांधी चिकित्सा महाविद्यालय भोपाल के कार्यालय में जमा किये जा सकते हैं। किसी भी स्थिति में निर्धारित तिथि एवं समय के पश्चात प्राप्त होने वाले आवेदनों पर विचार नहीं किया जाऐगा।

आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि दिनांक 04.06.2022.सायं 5:30 बजे तक
अधिष्ठाता कार्यालय गांधी चिकित्सा महाविद्यालय, भोपाल

रिक्तियां निम्नानुसार हैः–

सह–प्राध्यापक – वेतनमान लेवल 13ए : 131400–217100

क्र.	विषय	पदोंन्नति/सीधी भर्ती		
		UR	ST	SC
01	मेडिसिन	01	01	–
02	जनरल सर्जरी	01	01	01
03	प्रसूति एवं स्त्री रोग	–	01	–
04	बाल्य एवं शिशु रोग	–	01	–
05	रेस्पिरेटरी मेडिसिन	–	01	–
06	कार्डियोलॉजी	–	01	–
07	फार्माक्लॉजी	–	01	–
	कुल –10	02	**07**	**01**

सह–प्राध्यापक वेतनमान– लेवल 13ए : 131400–217100

क्र.	विषय	सीधी भर्ती			
		UR	ST	SC	OBC
01	रेस्पिरेटरी मेडिसिन	01	–	–	–
	कुल –01	01	**00**	**00**	**00**

सहायक–प्राध्यापक (सीधी भर्ती) वेतन मेट्रिक्स लेवल 11 – 68900–139900

क्र.	विषय	सीधी भर्ती					रिमार्क
		UR	ST	SC	OBC	EWS	
01	पी एस एम	–	01	–	01	–	–
02	फार्माक्लॉजी	–	01	–	–	–	–
03	रेस्पिरेटरी मेडिसिन आरआईआरडी	01	01	01	02	–	–
	कुल –08	01	03	01	03	00	

सहायक–प्राध्यापक (पदोन्नति) वेतन मेट्रिक्स लेवल 11 – 68900–139900

क्र.	विषय	पदोन्नति / सीधी भर्ती					रिमार्क
		UR	ST	SC	OBC	EWS	
01	फिजियोलॉजी	01	–	–	–	–	–
02	कम्यूनिटी मेडिसिन	–	01	–	–	–	–
	कुल –02	01	01	00	00	00	–

रिक्तियो की संख्या परिवर्तनिय है

नोटः–

1. पदों की संख्या अधिक / कम की जा सकती हैं।
2. आवेदन का प्रारूप एवं नियम / शर्तो से संबंधित विस्तृत विवरण चिकित्सा महाविद्यालय की वेबसाईट पर www.gmcbhopal.net पर उपलब्ध है।
3. समस्त नियुक्तियॉ शासन द्वारा समय–समय पर जारि निर्देशो / निर्णयो के अध्यधीन रहेगी । एवं किन्ही भी कारणो से किसी भी अभ्यार्थी का आवेदन अयोग्य पाये जाने पर आवेदन निरस्त किया जाऐया। निरस्त होने की स्थिति में अभ्यार्थी किसी भी प्रकार से नियुक्ति के संबंध में अधिकार के रूप में दावा नहीं कर सकेंगे।
4. पदोन्नति के रिक्त पदो में कार्यालय आयुक्त चिकित्सा शिक्षा के पत्र क्रमांक 396 / स्था / राज / 2022 भोपाल दिनांक 18.04.2022 में जारी मध्यप्रदेश स्वशासी शैक्षणिक आदर्श सेवा भर्ती नियम 2018 मे नियम 3(ग) के अन्तर्गत जारी अनुसूची क्रमांक 2 की टीप क्रमांक 2 अनुसार सीधी भर्ती से भरे जायेगे ।
5. जिन संकाय सदस्यों ने विज्ञप्ति क्रमांक 2428 / एमसी / 4 / राज / 2022 दिनांक 24.05.2022 में आवेदन किये हुये हैं(केवल पूर्व में आवेदित श्रेणी हेतु) उन्हें वर्तमान विज्ञप्ति में पृथक से आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है।

अधिष्ठाता एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी
गांधी चिकित्सा महाविद्यालय,स्वशासी
समिति, भोपाल

नियम व अहर्तायें:–

1. वेतनमान – नियमित नियुक्ति हेतु

सहायक प्राध्यापक – लेवल 11 : 67300–206900

सह प्राध्यापक – लेवल 13ए : 131400–217100

टीप– राज्य शासन द्वारा समय समय पर स्वीकृत वेतनमान एवं अन्य भत्ते आदि देय होगे।

2. आयु सीमा न्यूनतम

सह प्राध्यापक – 30 वर्ष

सहायक प्राध्यापक – 30 वर्ष

टीप – आयु की गणना दिनांक 01/01/2022 को आधार मानकर की जायगी।

3. पदो पर आरक्षण राज्य शासन के द्वारा समय समय पर जारी आदेशों के अनुसार होगा।

- **जाति प्रमाण पत्र : आरक्षण का लाभ मध्य प्रदेश शासन के समक्ष प्राधिकारी द्वारा शासन द्वारा निर्धारित प्रारूप में जारी , जाति प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने पर ही दिया जायेगा।**

7. **शैक्षणिक अर्हतायें :–**

- राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग द्वारा प्रस्थापित टी.ई.क्यू. दिनांक 14.02.2022 अनुसार शैक्षणिक पद विशेष के लिये निर्धारित अर्हता।

5. निरर्हतायें :–

5.1 विकृत चित्त वाला होने पर।

5.2 दुश्चरित्र होने पर।

5.3 शारीरिक दुर्बलता के कारण व्यक्ति अपने कर्तव्य बोध एवं दायित्व को पूरा नहीं कर सकता हो।

5.4 नियुक्ति के लिये प्रयास/अनुशंसा– किसी भी उम्मीदवार की ओर से अपनी उम्मीदवारी की सहायता प्राप्त करने हेतु किसी भी जरिये से किया गया कोई भी प्रयास/अनुशंसा उसके लिये अनर्हकारी माना जायेगा।

5.5 विवाह/अनुशंसा – जिस उम्मीदवार ने न्यूनतम निर्धारित आयु (पुरूष वर्ग के लिये 21 वर्ष एवं महिला वर्ग के लिये 18 वर्ष) से पूर्व विवाह कर लिया होगा उसे इन पदों पर चयन हेतु अयोग्य माना जायेगा। कोई भी ऐसे महिला/पुरूष उम्मीदवार जिसने किसी ऐसे पुरूष/महिला से विवाह किया हो, जिसकी पहले से जीवित पत्नी/पति हो, ऐसे महिला/पुरूष नियुक्ति के लिये पात्र नही होगें।

5.6 मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 दिनांक 25.05.2000 के अनुसार – कोई भी अभ्यार्थी जिसकी दो से अधिक जीवित संतान हैं, जिनमें से एक का जन्म 26.01.2001 को या उसके पश्चात हुआ हो, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा। किन्तु पूर्व से मध्यप्रदेश शासन/स्वशासी समिति अंतर्गत कार्यरतों के लिए इस शर्त की व्याख्या सेवानिरंतरता के सिध्दांत अनुसार लागू होगी।

5.7 कूट रचित/फर्जी दस्तावेज एवं चयन के स्तर पर जानकारी छिपाये जाने/अभिलेख फेरबदल कर प्रस्तुत करने पर।

5.8 कदाचरण संबंधी – किसी भी ऐसे उम्मीदवार को नियुक्त नहीं किया जावेगा, यदि उसने शासन या स्थानीय प्राधिकारी की सेवा के कदाचरण के लिये परिणामास्वरूप पदच्युत कर दिया गया हो यदि उसे नैतिक पतन के अपराध पर दोष सिद्ध ठहराया गया हो।

5.9 ऐसा उम्मीदवार जिसके विरूद्ध नैतिक पतन का आपराधिक प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है अथवा वह नैतिक पतन के आपराधिक मामले में दोष सिद्ध हुआ हो।

5.10 स्वास्थ्य संबंधी – चिकित्सा महाविद्यालय के चिकित्सक जिसका पद सिविल सर्जन से कम न हो, के द्वारा स्वास्थ्य परीक्षण पश्चात् शारीरिक एवं मानसिक रूप से अस्वस्थ पाया जाए तथा वह ऐसा प्रमाण–पत्र जारी करें।

6. स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय में सेवारत व्यक्ति, जो सीधी भर्ती के पद के लिये अर्हताधारी हो सीधी भर्ती के पद के विरूद्ध आवेदन देने के लिये स्वतन्त्र होगा ओर ऐसे आवेदन के लिये उसे नियोक्ता से अनापत्ति प्रमाण पत्र नही लेना होगा।

7. चिकित्सा शिक्षक को उसके पद के अनुरूप कर्तव्यों का तथा समय–समय पर सौंपे गये प्रशासनिक दायित्वों का निर्वहन करना होगा।

8. ऐसे चिकित्सा शिक्षक जिनकी नियुक्ति राज्य शासन द्वारा मध्यप्रदेश चिकित्सा शिक्षा (राजपत्रित) सेवा भर्ती नियम 1987 के तहत की हो के द्वारा उच्च पद के लिये आवेदन किया जाता है और यदि उसका चयन किया जाता है तो वह स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय में ऐसे वरिष्ठ पद पर लिया जा सकेगा।

9. आवेदक का चयन होने पर उसे 65 वर्ष की उम्र अथवा नियुक्ति दिनांक से 03 वर्ष जो भी पहले हो तक संबंधित स्वशासी महाविद्यालय में सेवायें देनी होगी। आवेदक को इस बाबत् सम्यक रूप से स्टांपित एक बांड नियुक्ति के समय भरना होगा एवं इस शर्त के उल्लंघन पर उसे एक वर्ष के वेतन/मानदेय के बराबर की राशि महाविद्यालय को चुकानी होगी।

10. **आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि :–** स्वशासी गांधी चिकित्सा महाविद्यालय भोपाल मे आवेदन पत्र दिनांक ...04.06.2022 को सांय 05:30 बजे तक जमा किये जा सकते है।

आवेदन पत्र डाक द्वारा, अथवा व्यक्तिगत रूप से कार्यालय में जमा कराये जा सकते हैं। किसी भी स्थिति में निर्धारित तिथि एवं समय के पश्चात प्राप्त होने वाले आवेदनों पर विचार नहीं किया जावेगा।

11. चयन प्रक्रिया हेतु किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नही होगा।

12. अपूर्ण आवेदन एवं आवश्यक दस्तावेजो की सत्यापित प्रति संलग्न न होने की स्थिति में आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।

13. आवेदन शुल्क सहायक प्राध्यापक एवं सह प्राध्यापक अनारक्षित वर्ग 2000 एवं आरक्षित वर्ग. के लिए 1000 /– प्रति आवेदन **आवेदन शुल्क गांधी चिकित्सा महाविद्यालय के** खाते मे IMPS/NEFT /बैंक ड्राफ्ट द्वारा **Account Name:-** CEO & Dean Gandhi Medical College, Bhopal. Bank Name:- State Bank of India Account No:- 10625211248 IFSC Code: SBIN0010140 या चालान द्वारा जमा कराना होगा।

शुल्क संचालन की प्रति आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा

महत्वपूर्ण टीपः– यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी कि वे अपने आवेदित पद के लिये निर्धारित समस्त अर्हताये और शर्तो को पूरा करते है। अतः आवेदन करने के पहले आवेदक अपनी अर्हता की जांच स्वयं करले ओर अर्हता की समस्त शर्ते पूरा करने पर ही आवेदन पत्र भरे । चयन के किसी भी स्तर पर आवेदक की अर्हताए पूर्ण न होने पर उसका आवेदन पत्र निरस्त कर उसकी उम्मीदवारी समाप्त की जाएगीं। आवेदक के विरूद्ध पुलिस प्रकरण अथवा किसी भी प्रकार की प्रशासनिक जांच न हो जिसके कारण आवेदक की नियुक्ति प्रभावित होती हो, इस आशय से संबंधित घोषणा पत्र जो की आवेदन के प्रारूप में दिया गया हैं में अनिवार्य रूप से दिया जाना है। यह शर्त भी उसमें समाहित रहेगीं।

01/06/20

अधिष्ठाता एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी
गांधी चिकित्सा महाविद्यालय,स्वशासी समिति, भोपाल